तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 500/2024 अनवान रावताराम बनाम आदूराम
19/11/24	**निर्णय** पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा प्रागाणियों की ढाणी पटवार हल्का भाड़खा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 748 रकबा 10.4813 हैक्टेयर व खसरा संख्या 851/749 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि तथा मौजा खारिया तला पटवार हल्का भाड़खा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 736 रकबा 12.4967 हैक्टेयर भूमि आई हुई है, जिसमे प्रार्थी का 1/5 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का आया हुआ है। राजस्व रेकर्ड में हिस्से खुले हुए है परन्तु सीमाओं के सम्बन्ध में विवाद होने से पक्षकारानें के मध्य तनाव की स्थिति रहती है तथा भूमि का विधिवत बंटवाड़ा नहीं होने से अप्रार्थीगण, प्रार्थी के हिस्से की भूमि में कब्जे काश्त में लगातार दखलन्दाजी कर रहे हैं। भूमि का विधिवत बंटवाड़ा नही होने से कब्जे को लेकर विवाद रहता है, वर्तमान में माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण के वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से विभाजन प्रस्ताव तलब किया जा चुका है। अप्रार्थीगण विभाजन प्रस्ताव का विरोध करने की पूर्ण संभावना है तथा मौके पर विभाजन होने नही देंगे। लिहाजा वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्व तथा प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा को वाद के निर्णय तक जारी की जावें। वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का भी गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी का कथन मानने योग्य है कि वर्तमान में न्यायालय द्वारा प्रकरण के वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से विभाजन प्रस्ताव तलब किया जा चुका है। अप्रार्थीगण विभाजन प्रस्ताव का विरोध करने की पूर्ण संभावना है तथा मौके पर विभाजन होने नही देंगे। पत्रावली व दस्तावेजात के अवलोकन से तथा वाद पत्रावली एवं आवेदन के
सहायक कलक्टर (SDO), बाड़मेर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2024.12.23 10:29:19 IST
Reason: SelfAttested

अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि प्रकरण में उभय पक्षों का मौके पर विवाद है। यदि यह आवेदन खारिज किया जाता है तो वादों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। अतः प्रकरण के निर्णय तक उभय पक्षों को पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा ग्रामाणियों की ढाणी पटवार हल्का भाड़खा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 748 रकबा 10.4813 हैक्टेयर व खसरा संख्या 851/749 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि तथा मौजा खारिया तला पटवार हल्का भाड़खा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 736 रकबा 12.4967 हैक्टेयर भूमि में उभय पक्ष किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे तथा मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2024.12.23 10:29:19 IST
Reason: SelfAttested